सोनभद्र पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 27.11.2026

- **थाना रायपुर पुलिस द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर भोली-भाली जनता से धोखाधड़ी करने वाला वांछित अभियुक्त (हिस्ट्रीशीटर) गिरफ्तार।**
- **कूटरचित प्रवेश पत्र एवं नियुक्ति पत्र तैयार कर नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों से रुपये लेकर करता था धोखाधड़ी कब्जे से 01 अदद मोबाइल फोन एवं 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद।**
- **अभियुक्त द्वारा लगभग ₹55 लाख की धोखाधड़ी किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है।**

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जनपद में चलाए जा रहे सघन अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) **श्री ऋषभ रुणवाल** एवं क्षेत्राधिकारी सदर **श्री सुधीर कुमार सिंह** के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक रायपुर श्री विजय कुमार चौरसिया के नेतृत्व में थाना रायपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 175/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 351(2) बीएनएस** से संबंधित वांछित अभियुक्त मनोज कुमार पाण्डेय को आज दिनांक 27.11.2026 को समय 07:40 बजे बुढिवार पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 26.11.2026 को आवेदक दयानंद शर्मा निवासी ग्राम सिरवनीयां, पोस्ट कंचनपुर, जिला देवरिया द्वारा थाना रायपुर पर प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की गई कि ग्राम रायपुर, थाना रायपुर, जनपद सोनभद्र निवासी मनोज कुमार पाण्डेय पुत्र विरेन्द्र बहादुर पाण्डेय एवं उनके अन्य सहयोगियों द्वारा उन्हें **भारतीय खाद्य निगम (FCI) में असिस्टेंट (AG-III) के पद पर नौकरी दिलाने** का झांसा दिया गया।

नौकरी दिलाने के नाम पर कुल 10 लाख रुपये की मांग की गई, जिसके तहत प्रार्थी से अलग-अलग किस्तों में नकद एवं बैंक खाते के माध्यम से कुल 8 लाख 14 हजार रुपये ले लिए गए। इसके बाद आरोपियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सहायता से तैयार किया गया फर्जी एडमिट कार्ड एवं नियुक्ति पत्र प्रार्थी को सौंप दिया गया। दस्तावेजों के फर्जी होने का संदेह होने पर जब प्रार्थी ने शेष 2 लाख रुपये देने से मना किया तथा अपनी दी हुई रकम वापस मांगी, तो आरोपियों द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दी गई। प्रार्थी की तहरीर के आधार पर थाना रायपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही थी।

अभियुक्त थाना रायपुर का हिस्ट्रीशीटर (HS No. 36A), गुण्डा एवं दुराचारी है। अभियुक्त द्वारा भोली-भाली जनता को नौकरी दिलाने का झांसा देकर कूटरचित प्रवेश पत्र एवं नियुक्ति पत्र तैयार कर रुपये प्राप्त कर धोखाधड़ी किए जाने की प्रवृत्ति प्रकाश में आई है। अभियुक्त **स्वयं को रेलवे का डीआरएम का स्टेनो बताकर राजस्थान, बिहार एवं उत्तर प्रदेश के देवरिया,सोनभद्र के रायपुर व रॉबर्ट्सगंज** के कुछ व्यक्तियों से **रेलवे व भारतीय खाद्य निगम (FCI) में नौकरी दिलाने** के नाम पर धोखाधडी करने की बात प्रकाश में आई है। उत्तर प्रदेश में अब तक 07 से 08 लोगों के साथ **लगभग ₹55 लाख की धोखाधड़ी** किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

मनोज कुमार पाण्डेय पुत्र विरेन्द्र बहादुर पाण्डेय, निवासी ग्राम रायपुर, पोस्ट रायपुर, थाना रायपुर, जनपद सोनभद्र।

बरामदगी का विवरण–

- 01 अदद एण्ड्रायड इस्तेमाली मोबाइल फोन।
- 01 अदद होण्डा साइन मोटरसाइकिल।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 101/2025 धारा 316(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस, थाना रायपुर, जनपद सोनभद्र।
2. मु0अ0सं0 102/2025 धारा 316(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस, थाना रायपुर, जनपद सोनभद्र।
3. मु0अ0सं0 265/2025 धारा 420, 467, 468, 471, 406, 506 भा0द0वि0, थाना तरकुलवा, जनपद देवरिया।
4. मु0अ0सं0 753/2025 धारा 316(2), 352, 351(3), 3(2)(Va), 3(1)(द), 3(1)(ध) एससी/एसटी एक्ट, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।
5. मु0अ0सं0 175/2025 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 351(2) बीएनएस, थाना रायपुर, जनपद सोनभद्र।
6. क्रम संख्या 08/2026 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, थाना रायपुर, जनपद सोनभद्र।
7. मु0अ0सं0 101/2020 धारा 279, 337, 338 भादवि थाना रायपुर जनपद सोनभद्र
8. मु0अ0सं0 658/2020 धारा 135 भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003 थाना एंटी पावर थेफ्ट जनपद सोनभद्र
9. मु0अ0सं0 505/2022 धारा 269, 336, 420 भादवि व धारा 16 इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र
10. हिस्ट्रीशीट संख्या 36A, थाना रायपुर, जनपद सोनभद्र।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार चौरसिया, थाना रायपुर, जनपद सोनभद्र।
2. उ0नि0 उमाशंकर गिरि, थाना रायपुर, जनपद सोनभद्र।
3. हे0का0 शशिकान्त यादव, थाना रायपुर, जनपद सोनभद्र।
4. हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार, थाना रायपुर, जनपद सोनभद्र।
5. हे0का0 राजीव कुमार, थाना रायपुर, जनपद सोनभद्र।
6. का0 संजय कुमार, का0 अंश राजपूत, का0 आसुतोष, थाना रायपुर, जनपद सोनभद्र।